(vi) whether the above led to reservoir damage, and if yes, what is the nature and magnitude thereof;

(vii) what steps can now be taken to mitigate such adverse impact or damage and what lessons can be learnt from the above analysis;

(viii) whether any changes in procedue and practices in respect of the development of an oil fields are necessary to avoid recurrence of such situations in the future.

The committee's report is awaited.

बी०सी०सी०एल० द्वारा कोयले की बिक्री अनियमितताएं

700. श्री राम अवधेश सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल-मई, 1990 के दौरान भा०को०को०लि० के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने कोयला सहकारी समिति के सचिव, संदीप कुमार सिंह के नाम में 50,000 टन कोयला बेचा था ;

(ख) क्या यह कोयला उन सदस्यों को बेचा गया था जिन्होंने समिति बनाई थी या बिहार से बाहर के व्यापारियों को बेचा गया था ; और

(ग) क्या सरकार भा० को० को० लि० के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सहकारी समिति के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

ऊर्जा मंत्री साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मैसर्स प्रगतिशील श्रमिक सहयोग समिति, जिसके सचिव श्री संदीप कुमार सिंह हैं, ने उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत 23,500 टन कोयले की खरीद का आर्डर बुक कराया था। उक्त बुकिंग पर 2339.5 टन कोयले की आपूर्ति की गई थी । उक्त कोयले के प्राप्तकर्ता (1) मैसर्स ओम ट्रेडर्स, मेरठ तथा (2) मैसर्स जय हनुमान कोल कंपनी (उत्तर प्रदेश) थे। इस मामले में स्थानीय जिलास प्रशासन द्वारा बिहार ट्रेड आर्टिकल्स (लाइसेंस यूनीफ़िकेशन) आदेश, 1984 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है ।

Incidence of malaria

701. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:

SHRI ASHWANI KUMAR:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the number of deaths caused by malaria in the country during the last three years, year-wise;

(b) whether Government are aware of reports that the actual number of such deaths was higher than those recorded officially;

(c) if so, what are the details thereof; and

(d) the incidence of malaria in the country during the last three years, year-wise and steps taken to reduce it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RASHEED MASOOD): (a) The number of reported deaths due to malaria during the last three years in the country is as follows:—

Year	No. of Deaths
1987 . . .	188
1988 . . .	209
1989 . . .	268 (Provisional)

(b) and (c) National Malaria Eradication Programme has a well established reporting system based on time tested prescribed proformae. The information generated from the periphery is systematically channelised to the Centre where the data is compiled for the country.

As per the procedure, death due to malaria is officially recorded only when the blood slide from the deceased patient is positive for malaria parasites and each reported death suspected due to Malaria is investigated and recorded as deaths due to Malaria after confirmation. Cases which die on clinical suspicion of malaria are not taken as deaths due to malaria. Thus there appears to be no ground to doubt the number of deaths due to malaria which are officially reported and recorded.

(d) The following specific steps are being continued to control/reduce Malaria:—

— Selective judicious residual insecticidal spray with appropriate insecticide.

—Fortnightly surveillance for detection and treatment of cases.

—Bio-environmental control methods through minor engineering modification in rural areas and anti-level measures through chemicals and use of larvivorous fish and environment management in urban areas.

—Intensification of special inputs in highly malarious areas with emphasis on personal protection measures, community involvement through health education etc.

कोयले की सप्लाई में धोखाधड़ी

702. श्री राम अवधेश सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जून, 1990 के "जनसत्ता" में दक्षिण पूर्व कोयला खानों में कोयले की सप्लाई से संबंधित "कोयले की जगह राख और मिट्टी की सप्लाई" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो भा० को० कोलि०, सी० सी० एल० और डब्ल्यु० सी० एल० क्षेत्रों में चल रही इस प्रकार की धोखाधड़ी पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (राज्य मंत्री कोयला एवं नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लि० के प्रबंधन ने अपने सतर्कता विभाग द्वारा जांच की तथा उक्त जांच की रिपोर्ट के अनुसार कोई धोखाधड़ी नहीं पाई गई जैसाकि समाचार-पत्र में आरोप लगाया गया । किन्तु जांच ने इस बात की पुष्टि की है कि उपभोक्ताओं को सप्लाई किए गए कोयले के ग्रेड में कुछ कमियां पाई गई हैं, जो कि कोलियरी के कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई हैं जिनके विरुद्ध साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लि० प्रबंधन द्वारा विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है । कोयला कम्पनियों ने इस संबंध में किसी भी तरह का कदाचार किए जाने को मानने से इंकार किया जैसाकि कोयले के स्थान पर "राख तथा मिट्टी" की आपूर्ति का किया जाना । ओपेनकास्ट खनन के दौरान तथा कोयले के भण्डारण के समय कुछ बाहरी तत्वों जैसे पत्थरों, आदि के मिश्रण को पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता है । किन्तु कोयला कम्पनियां यह सुनिश्चित किए जाने का प्रयास करती हैं कि खनन भण्डारण तथा कोयले के रख-रखाव किए जाने के समय बाह्य तत्वों का मिश्रण कोयले में न्यूनतम हो । कोयला कम्पनियां उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों को कोयले के लदान का निरीक्षण किए जाने की भी अनुमति देती है ताकि उपभोक्ताओं को अधिकतम संतोषप्रदता मिल सके । बड़े उपभोक्ताओं को कोयला कम्पनियों द्वारा अधिकांश कोयले की बिक्री संयुक्त वेईंग व्यवस्था के अनुसार की जाती तथा कोयले का भुगतान की गई वास्तविक